標

F 13/495/ 15/1/25 विषय: - अगानिता अभाव कि 6875/15-में प्रमुद्ध हिन्दा कि कि विभाग व छब्बीस-२ सचिवालय

F13 475 15/125 विषय: 418091 97419 W.P 6875/15-11 95-841 (118) का विभाग 2114 में मिनानिक्त हरद है भी सिक्ति जिला छब्बीस-२ सचिवालय मिन्ड क्विट्र में में में माने एवं क्वन्य। स्व हरू मे नायालयीन काद्रा दिनोक 9/2/16 द्वारा संभागीय उपायुक्त व्यालियर की ठर विमुल्म विमागाया ही कोरम की जिस संकारण कर, भारत मली ०९० का नामिताकी। प्रतिरक्षणं आहेरा जारी वारने हेतु (बडिट जवमार्ग को द्वारिकत Jr/20/28/12 -196-उनिशाकेमुभी-17-7-15-5,00,000.

विषय: छब्बीस-२ सचिवालय का विभाग 9669 A

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at GWALIOR

Process Id: 34095/2015

WP/6875/2015

From

Deputy Registrar, High Court of MP Bench at Gwalior FOR ADMISSION
Fixed for 04-12-2015
DA- 05
Respondent No. 1
RAD

To.

The State of Madhya Pradesh Thr,
Principal Secretary, A&dim Jaati Anusuchit
Jaati Kalyan Vibhag, Vallabh Bhawan,
Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 18-11-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 6875/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Kanhaiyalal Shakya** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/6875/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **04-12-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

SECTION OFFICER

Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश

कमांक / स्था07 /बी / 8689 / 2015 / 3327

भोपाल,दिनांक 9/2/16

नियुक्ति आदेश

याचिका प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 6875/15 श्री कन्हैयालाल शाक्य, से.नि. यू.डी.टी. जिला भिण्ड विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4/196/2001/25/1 दिनांक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत् सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनयम संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास ग्वालियर (म०प्र०) को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियंगावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :--

- प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।
- 2. समस्त सुसंगत फाइलें, दंस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- वाद पत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अनिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा ।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवाएगा ।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेंगे :-
 - (क) वाद पत्रं की एक प्रति के साथ शासनू की एक रिपोर्ट ।
 - (ख) प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप ।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
 - (घ) ... प्रकरण के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी
- प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासुकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगृति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदय अवगत रखना ।
- जब भी कोई-आदेश/निर्णय विशिष्टतयाः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन करना
- 9. अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।
- 10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने. रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- 11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार साँप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये।



12 प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छूपी हुई नहीं रह जाये।


13. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी

जाहा

14. प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च/उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमति

मिल जाये और निर्धारित (निहीत) अवधि में अपील / रिवीजन प्रस्तुत हो जावे ।



पृष्ठांकन/स्था.7/बी/8689/2015/332 % । प्रतिलिपः- भोपाल ,दिनांक.....9.12/16

- महाधिवक्ता बैंच ग्वालियर म0प्र0।
- यमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल म०प्र०।
- अपुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म०प्र०।

4 कलेक्टर, भिण्ड म०प्र०।

- र्समागीय उपायुक्त,/नोडलं अधिकारी,(विधि प्रकोष्ठ) आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, ग्वालियर म०प्र०।
- (म0प्र0) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट)पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिये। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी रिथित रखें। मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थगन हटाने की प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करें। मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

प्रभारी अधिकारी, शिक्षा स्थापना शाखा, मुख्यालय भोपाल, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु।

आदिवासी विकास मध्यप्रदेश